# फर्द अहकाम
## न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री प्रहलाद कुमार बुनकर निवासी अयोध्यापुरी सिविल लाईन के पीछे, आवरी माता मन्दिर के सामने, तहसील व जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा — **प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा** — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 30/2025**

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 28.04.2025**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से जरिये पत्र क्रमांक /आरटीआई/2025/01 दिनांक 17.04.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रहलाद कुमार बुनकर अयोध्यापुरी, सिविल लाईन के पीछे, आवरी माता मन्दिर के सामने, राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 27.02.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव गवारड़ी के खसरा नं. 4882/1582 के संबंधित आवंटन आदेश की प्रति एवं भूमि नक्शा ट्रेस की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई। जिसके संबंध में प्रार्थी को सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/843 दिनांक 18.03.2025 से नक्शा ट्रेस की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी गई है। एवं भूमि आंवटन इस कार्यालय से नहीं किया जाता है जिससे संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के उक्त पत्रांक से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करवाने का आदेश फरमावे।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये क्रमांक/आरटीआई/2025/843 दिनांक 18.03.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध रेकॉर्ड अनुसार उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।<br>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।<br>**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**<br><br>लोक सूचना अपीलीय अधिकारी<br>(जिला कलक्टर) राजसमंद | |

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)